ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI TITLED No: UPBIL04292,
RNI REG.No.:UPBIL/2014/66218, SOCI.REG. No. 561/2013-14
Vol.-5, No.-I, PP-104-110, YEAR JUNE 2016

लिंग और विकास : समाजशास्त्रीय विश्लेषण

❑ डॉ0 राकेश प्रताप शाही

स्त्री और पुरूष के बीच जो भाारीरिक भिन्नता है, वह प्राकृतिक है। इसी भिन्नता को लैंगिक भिन्नता कहते हैं, किन्तु लिंग–भेद सामाजिक रुप से तय होता है तथा स्त्री और पुरुष के गुण को नि ित करता है। सामाजिक लिंग–भेद ही तय करता है कि अमुक कार्य पुरुष या स्त्री के लिए उचित है या अनुचित, किन्तु समाज द्वारा मान्य स्त्री–पुरुष के बीच अन्तर प्राकृतिक नहीं है। समाज के द्वारा आरोपित ये सामाजिक लिंग–भेद के सम्बन्ध न तो सार्वभौमिक हैं, न ही स्थायी हैं। काल, परिस्थिति एवं संस्कृति के साथ–साथ ये बदलते रहते हैं तथा इन पर सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक व राजनीतिक घटकों का प्रभाव भी पड़ता है। बच्चें जन्म से ही समाजीकरण के दौरान लिंग–भेद के बारे में सीखने लगते हैं और उसी कारण उनमें बचपन से ही स्त्री और पुरुष की मानसिकता बनने लगती है। भारत के अधिकां ा समाजों में सामाजिक व्यवस्था पितृवं ाीय है। इसलिए यहाँ के समाजों में महिलाएँ प्राचीन काल से ही और विशेषकर मध्यकाल से भाोषण और उत्पीड़न की ि ाकार रही हैं।[1]

समाज ाास्त्रीय दृष्टि से भाारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष एवं महिला के मध्य विद्यमान प्राकृतिक असमानताओं को तो स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार पर पुरुष तथा महिला में मतभेद करने का कोई औचित्य नहीं है। पुलिंग तथा स्त्रीलिंग एक जैविकीय तथ्य है। यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड़ दी जाती है, तो यह एक सामाजिक तथ्य बन जाता है, जिसे लैंगिक असमानता कहा जाता है। प्रत्येक समाज में लैंगिक असमानता अनेक रुपों में विद्यमान रहती है। प्रो0 अमर्त्यसेन ने लिखा है कि– ''लैंगिक असमानता वि व के सभी दे ाों जापान से जाम्बिया, यूक्रेन से संयुक्त राज्य अमेरिका– में पायी जाती है। यह एक सजातीय प्रघटना न होकर अनेक अन्तर्सम्बन्धित समस्याओं सेजुड़ी प्रघटना है।''[2]

सम्प्रति समाज ाास्त्र विषय के एक प्रमुख भाखा के रुप में 'लिंग और विकास' का अध्ययन एवं अध्यापन किया जा रहा है। आज समाज ाास्त्र में महिलाओं के अध्ययन की आव यकता इसलिए एवं पुरुषों में असमानतापूर्ण व्यवहार विद्यमान रहा है। महिलाओं के अध्ययन का प्रमुख उद्दे य यह है कि महिलाओं को समाज में समान स्थिति पर लाया जाय। महिलाओं का अध्ययन केवल ज्ञान बढ़ाने में ही सहायक नहीं है, बल्कि इसके द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है, महिलाओं को स ाक्त किया जाता है और पुरुषों से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि समाज में लिंग असमानता क्यों विद्यमान है? महिलाओं का अध्ययन मुख्य रुप से लिंग से जोड़ कर किया जा सकता है। इस प्रकार के अध्ययन के उद्दे य निम्नलिखित हो सकते हैं–

1. समाज में व्याप्त लिंग असमानता को दूर करना।
2. महिलाओं को परिवार एवं समुदाय में किसी भी रुप में किये गये योगदान को महत्व दिलाना।
3. महिलाओं द्वारा स्वयं के बारे में जागरूक करना।
4. उन तथ्यों को ज्ञात करना जो समाज में लिंग असमानता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
5. उन तथ्यों को ज्ञात करना जो समाज में महिलाओं की निम्न प्रस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं।
6. समाज में लिंग असमानता के प्रति जागरुकता पैदा

❑ विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, श्रीभगवान महावीर पी0जी0 कॉलेज,पावानगर, फाजिलनगर, कुशीनगर, (उ0प्र0) भारत

करना एवं इसे दूर करने का प्रयास करना। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाएँ भारत में भासक के रुप में, विदुशियों के रुप में जानी जाती थीं। उन पर किसी तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं था, किन्तु धीरे–धीरे सांस्कृतिक पतन के कारण महिलाओं का स्थान पुरुषों से निम्न होता चला गया। पुरुषों का स्थान समाज में प्राथमिक माना जाने लगा तथा महिलाओं का स्थान गौण हो गया। आज जबकि परिस्थितियाँ बदल गयी हैं, महिलाएँ स ाक्त रुप में सामने आ रही हैं। महिलाओं का सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में बढ़–चढ़कर आगे आना महिलाओं में होने वाले विकास की ओर परिवर्तन को इंगित करता है। साथ ही कुछ रूढ़िवादी लोग इसके विरोध में भी लगे हुए हैं। इससे हमारी आन्तरिक सांस्कृतिक जड़े हिल रही हैं। इससे समाज में एक प्रकार का परिवर्तन नजर आ रहा है, जिसे हम सांस्कृतिक परिवर्तन कह सकते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का ही एक पहलू है। इस प्रकार महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को द ार्ा रहा है।

समाज में लिंग असमानता की उत्पत्ति मुख्य रुप से तीन कारणों से होती है–[3]

1. पुरुषों एवं महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं एवं उसमें अन्तर्निहित भाक्ति में भिन्नता।
2. महिलाओं की गति ाीलता व स्वतन्त्रता में सांस्कृतिक पारम्परिक अवरोध।
3. वैवाहिक एवं पारिवारिक व्यवहार।

महिलाओं के सन्दर्भ में अभी तक चार मुख्य पहलुओं का अध्ययन किया गया है–[4]

1. उत्पादन
2. प्रजनन
3. लैंगिकता
4. बच्चों का समाजीकरण

भारत के सन्दर्भ में मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने जरुरत से ज्यादा बल दिया है। भारतीय सन्दर्भ में इन चारों पहलुओं में पुरुषों का प्रधान्य है, जबकि इन्हीं क्षेत्रों में स्त्रियों का मुख्य

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 1995 में कहा गया है कि महिलाओं की क्षमता में बढ़ोत्तरी और उन्हें अपनी समझ में काम करने का अधिकार प्रदान करना, न केवल अपने में महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक बृद्धि व विकास में योगदान का सर्वाधिक वि वसनीय तरीका है। लिंग की समानता के बिना मानव विकास असम्भव है, जब तक महिलाओं को विकास प्रक्रिया से दूर रखा जायेगा, तब तक विकास में विषमता बनी रहेगी। आने वाले कल को सुधारने के लिए हमें आज की महिला की स्थिति में सुधार लाना अत्यन्त आव यक है तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण को हटाकर विकासवादी दृष्टिकोण को अपनाने की आव यकता है। महिलाओं को स ाक्त बनाकर दे ा को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ बना सकते हैं।[5]

विकास सामाजिक परिवर्तन का एक स्वरूप है। ऑक्सफोर्ड डिक ानरी में विकास भाब्द का प्रयोग तीन अर्थों में किया गया है–

1. एक क्रमिक फैलाव
2. किसी भी वस्तु की अधिकतम् जानकारी
3. जीवाणु वृद्धि

इस अर्थ में हम विकास को बच्चे के विकास, बीमारी के विकास, व्यक्तित्व के विकास या स्थिति के विकास के रुप में परिभाषित कर सकते हैं। विकास को कुछ लोगों ने सामाजिक परिवर्तन का ही समानार्थक बताया है तथा इसे सीखने की सामान्य योग्यता व प्रक्रिया में अपने निष्पादन में सुधार करना बताया है, जबकि दूसरी ओर विकास भाब्द का प्रयोग किसी सूक्ष्म रुप में परिभाषित लक्ष्य की ओर बढ़ना है। विकास भाब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, जिसमें चार अर्थ वि ोष रुप से उल्लेखनीय हैं–[6]

1. उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार विकास संगठन की उच्च अवस्था की ओर होने वाली आकस्मिक प्रक्रिया है, जो कि धीमी गति से होती है।
2. उत्पत्ति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य के अनुसार विकास आन्तरिक तत्वों में वृद्धि है।
3. संरचनात्मक–प्रकर्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार

की एक निरन्तर प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वि ोषीकरण, विभेदीकरण, अंगों की पारस्परिक आश्रितता तथा समग्र की स्वतन्त्रता में बृद्धि होती है।

4. निर्णायकवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार विकास स्वतः होने वाली परिवर्तन की एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा संरचनाओं व अन्तर्क्रियाओं में जटिलता आ जाती है।

समाज ाास्त्र में विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय एल0 टी0 हॉबहाउस' को दिया जाता है। इन्होंने विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि– ''विकास का अभिप्राय नये प्रकार्यों के उदय होने के परिणामस्वरूप सामान्य कार्यक्षमता में बृद्धि अथवा पुराने प्रकार्यों की एक दूसरे के साथ समायोजन के कारण सामान्य उपलब्धि में बृद्धि से है।'' अर्थ ाास्त्र में विकास भाब्द न केवल एक सकारात्मक परिवर्तन का सूचक है, अपितु इसका सम्बन्ध मानव–मात्र के कल्याण से भी है। जब हम किसी अर्थव्यवस्था के विकास की बात करते हैं तो उससे हमारा तात्पर्य उसके चहुँमुखी विकास तथा उससे सम्बन्धित प्रत्येक क्षेत्र एवं वर्ग के विकास से होता है। अर्थ व्यवस्था समाज से घनिष्ठ रुप में सम्बन्धित है एवं समाज का वृहद रुप है और इसी परिवार की आधारि ाला है नारी। नारी के बिना परिवार रूपी पौधे का अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित तथा फलित होने का प्र न ही नहीं उठता है। अतः नारी अर्थव्यवस्था से आव यक रूप से सम्बन्धित है। प्र न यह उठता है कि इस सन्दर्भ में वास्तविकता क्या है? एक ओर जहाँ महिलाओं की कुल जनसंख्या सम्पूर्ण जनसंख्या के लगभग 50 प्रति ात से थोड़ा कम है और उसकी भागीदारी का प्रति ात बहुत निम्न है। वहीं दूसरी ओर उसके अस्तित्व के महत्व को भी नकाराजाता है। एक ओर जहाँ दे ा के समक्ष विकास की महान चुनौतियाँ मुँह बाये खड़ी हैं, जिनकी तरफ सारी दुनियाँ की नजर है, वहीं दूसरी ओर दे ा के सामने महानतम् चुनौती है महिलाओं के विकास की, उसके स्थिति में सुधार की, जिसे सभी जानते हुए भी नजरन्दाज करते रहे हैं।

विकास वह द ाा है, जिसे लोगों के जीवन की परिवर्तन प्रक्रिया में उनके कल्याण का उच्चत्तर जीवन स्तर आदि उद्दे यों की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है। विकास एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है, जो प्रजातान्त्रिक विकास ाील राष्ट्र के लोगों की आ ाा आकांक्षाओं से सम्बद्ध होती है। विकास का तात्पर्य सदैव समाज के द्वारा उनकी सांस्कृतिक धरोहर, प्रतिमानों एवं दूसरों की रूचियों को नष्ट किये बिना ही उच्चता की ओर परिवर्तन से है। भाोध कर्त्ताओं का मानना है कि महिला एवं पुरूष पर विकास के प्रभाव में भिन्नता दिखाई गयी है। उनके अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि विकास प्रभावों की इस भिन्नता के कारण समाज एवं परिवार में महिलाओं का वि ाष्टीकरण हुआ है। यह प्रभाव साधनहीन परिवारों एवं जनसंख्या के उन वर्गों में दृष्टिगोचर होता है, जहाँ महिलाएँ अभी तक परिवार के लिए आर्थिक क्रियाओं के सम्पादन के बावजूद भोजन बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना आदि से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन करती हैं। यद्यपि यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि महिलाएँ उत्पादन प्रक्रिया में अनेक प्रकार से योगदान करती हैं, फिर भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें प्र ाक्षण एवं समर्थन सेवाएँ प्रदान की जायें, तो उन्हें अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है।

विकास एक ऐसी प्रघटना है जो जनसंख्या के विभिन्न भागों से जुड़ी हुई है। इसमें रहने का स्तर, ि ाक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर आदि का समावे ा होता है। महिला विकास से तात्पर्य केवल महिलाओं पर किये जाने वाले सरकारी व्ययों की रा ि ा में वृद्धि से नहीं है, अपितु उसके माध्यम से महिला वर्ग के जीवन पर पड़ने वाले वास्तविक दृ य एवं अदृ य प्रभावों से लिया जाता है। महिला विकास के प्रमुख सूचक या मापक हैं। जैसे– महिलाओं के प्रति समाज के दृश्टिकोण में परिवर्तन, महिलाओं में स्वयं की स्थिति में सुधार एवं विकास हेतु चेतना जागृत होना, उसका स्वयं के जीवन के प्रति आ ाावादी दृष्टिकोण, उनकी स ा क्ष ा र त ा , स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, ि ाक्षण, प्र ाक्षण, विवाह के प्रति दृष्टिकोण, उनकी विचारधारा, विभिन्न

उनकी रूचि का प्रादुर्भाव, स्वयं को अबला के स्थान पर सबला समझ पाने तथा भाोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की प्रवृत्ति का बीजारोपण, जीवन के हर क्षेत्र एवं हर पहलू के प्रति उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उत्पत्ति तथा उनकी जागरूकता के कारण समाज की अनेक विकारपूर्ण स्थितियों का विघटन।

यूनिसेफ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों से ज्ञात होता है कि कुल आबादी में आधी होते हुए भी महिलाएँ दो तिहाई ही काम करती हैं, पर उनके काम का सिर्फ एक तिहाई ही दर्ज हो पाता है। संसार में जितनी कुल सम्पत्ति है, उसका सिर्फ दसवाँ हिस्सा उनके नाम है। ए ाया और प्र ाान्त क्षेत्र के विवरण से पता चलता है कि ग्रामीण अंचल में यह अन्तर और अधिक है। इसका कारण यह है कि आर्थिक व सामाजिक दोनों दृष्टियों से महिला को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। विकास ाील दे ाों में महिलाओं की हालत और भीभाोचनीय है।

भारत की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को समझना सरल नहीं है। एक गृहिणी के रुप में उनकी पहचान सर्वव्यापी है। उनके आर्थिक कार्यों की प्रकृति एवं मात्रा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न है। परम्परागत भारत में जाति व्यक्ति के व्यवसाय का चयन करती थी, उसकी जीवन भौली एवं पारिवारिक प्रतिमानों को परिभाषित करती थी और जाति के सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक हैसियत तय करती थी। महिलाओं की हैसियत भी एक जाति से दूसरी जाति में भिन्न थी। उच्च जातियों की महिलाएँ मात्र गृहिणी का कर्त्तव्य ही निभाती थीं और घर की चाहरदिवारी के बाहर कोई भी कार्य करने से उन्हें रोका गया था। दूसरी ओर मध्यम एवं निम्न जातियों की महिलाएँ गृहिणी के कार्य के साथ–साथ बाहर के कार्यों में भी पूर्णतया भागीदार होती थीं। परम्परागत भारत में कृषि एवं घरेलू उद्योग एक दूसरे से मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरुप निर्मित करते थे। इस अर्थ व्यवस्था में मध्यम एवं निम्न जातीय महिलाओं की पूर्ण भागीदारी होती थी, परन्तु राष्ट्रीय उत्पाद में इनका योगदान तो था, किन्तु इसे महिलाओं का हिस्सा नहीं माना जाता रहा है। परिवार में महिलाओं को आर्थिक अधिकारों की मनाही एक सांस्कृतिक रचना है। लिंग भेद के आधार पर निर्धारित भूमिकाओं एवं आर्थिक क्रिया कलापों की संस्कृति परिधियों को अब दुनियाँ भर में महिलाओं ने चुनौती दिया है और अतीत में पुरुषों के लिए निर्धारित कार्यक्षेत्र अब महिलाओं के लिए प्रतिबन्धित क्षेत्र नहीं रह गये हैं, किन्तु यह प्रगति भारत वर्ष में अभी भी बहुत क्षीण है।[8]

भारत एक वि ाल प्रजातान्त्रिक दे ा है। 01 अरब 21करोड़ से अधिक जनसंख्या जो 35 राज्यों/केन्द्र ाासित प्रदे ाों, 640 जिलों, 5942 तहसीलों/तालुकों, 7936 कस्बों तथा 6.41 लाख गाँवों में निवासित हैं, जिसमें महिलाओं की जनसंख्या 586469174 है।[9] 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 51.5 प्रति ात पुरुष एवं 48.5 प्रति ात महिलाएँ हैं। भारत में लिंगानुपात एवं साक्षरता से सम्बन्धित कुछ तथ्य निम्न प्रकार हैं–

सारिणी–01

महिला लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर)

वर्ष	संख्या	महिलाएँ
1991	1000	927
2001	1000	933
2011	1000	940

सारिणी–02

भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर

जनगणना	जनसंख्या में साक्षरता का प्रति ात			पुरुष–महिला
वर्ष	पुरुष	महिलाएँ	व्यक्ति	अन्तर
1951	27.2	8.9	18.3	18.3
1961	40.4	15.4	28.3	25.0
1971	46.0	22.0	34.4	24.0
1981	56.4	29.8	43.6	26.6
1991	64.1	39.3	52.2	24.8
2001	75.3	53.7	64.8	21.6
2011	82.1	65.5	74.4	16.7

महिलाओं के अधिकारों एवं वि ोषाधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ संवैधानिक प्रस्ताव इस प्रकार हैं–

1. अनुच्छेद– 14 में पुरुषों एवं महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्रदान किये गये हैं।

2. अनुच्छेद– 15 में लिंग, प्रजाति, धर्म एवं जाति आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के विरूद्ध भेद–भाव का निशेध किया गया है।

3. अनुच्छेद– 15 (3) में राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक विवेक रखने की भाक्ति प्रदान की गयी है।

4. अनुच्छेद– 16 में सभी नागरिकों के लिए सरकारी नियुक्तियों के मामले में समान अवसर प्रदान किया गया है।

5. अनुच्छेद– 39 में यह व्यवस्था है कि राज्य जीविका के साधनों के अधिकार पुरुषों एवं महिलाओं को समान रूप से प्रदान करने और समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने की नीतियाँ बनाये।

6. अनुच्छेद– 42 में राज्य को निर्दे ा दिया गया है कि कार्य की स्थितियों को मानव के लिए उपयुक्त एवं मातृत्व राहत सुनि ित करने का प्रावधान करे।

7. अनुच्छेद– 51 (क–ङ) प्रत्येक नागरिक पर यह कर्त्तव्य लागू करता है कि महिलाओं के सम्मान का अनादर करने वाली प्रथाओं को दूर करें।

महिलाओं के विभिन्न संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने महिलाओं को वि ोष ध्यान में रखकर उनसे सम्बन्धित अनेक विधान/कानून बनाये हैं, जिसमें कुछ प्रमुख कानून निम्न हैं–

1. सती प्रथा निषेध अधिनियम– 1829
2. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम– 1856
3. बाल विवाह निरोधक अधिनियम– 1929
4. हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम– 1937
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम– 1948
6. वि ोष विवाह अधिनियम– 1954
7. हिन्दू विवाह अधिनियम– 1955
8. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम– 1956
9. देह व्यापार निवारण अधिनियम– 1956
10. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम– 1956
11. हिन्दू नाबालिग एवं संरक्षता अधिनियम– 1956
12. दहेज निवारण अधिनियम– 1961
13. महिलाओं के अ ालील चित्रण एवं नियन्त्रण सम्बन्धी अधिनियम– 1994

2005

महिला उत्थान एवं विकास से सम्बन्धित प्रमुख सरकारी योजनाएँ निम्नलिखित हैं–[10]

1. महिलाओं के प्रति अत्याचार रोकने एवं ि ाक्षा कार्य के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान करने की स्कीम– 1982

2. महिलाओं से सम्बन्धित 10 कानूनी पुस्तकों का प्रका ान– 1992

3. राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना– 1992

4. राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना– 1993

5. बालिका समृद्धि योजना– 1997

6. कस्तूरबा गाँधी ि ाक्षा योजना– 1997

7. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना– 1999

8. महिला भाक्ति पुरस्कार योजना– 2000

9. महिला अधिकारिता के बारे में राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव– 2011

10. महिला पोषाहार मि ान योजना– 2001

11. पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए स्वर्णिम योजना– 2002

12. महिला स्वधार योजना– 2002

13. राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना– 2003

14. मौलाना आजाद राश्ट्रीय छात्रवृति योजना– 2003

15. जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना– 2003

16. वन्देमातरम् योजना– 2004

17. महिला स्वयं सिद्ध योजना– 2004

लिंग और विकास समाज ाास्त्रीय जगत में आज अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। विकास की लैंगिक असमानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्र न का उत्तर निम्न दो दृष्टिकोण पर आधारित है।[12]

1. प्रथम, विकास के परिणाम स्वरुप महिलाओं को भी ि ाक्षा एवं रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं, जिससे लैंगिक असमानता कम होती है।

2. द्वितीय, विकास के परिणाम स्वरुप लैंगिक असमानता में बृद्धि होती है, क्योंकि विकास के अधिकां ा लाभ पुरुषों को ही प्राप्त होते हैं। महिलाओं को निम्न स्तर पर रहकर विकास की कीमत चुकानी पड़ती है। वि व के अधिकां ा दे ाों के आँकड़े प्रथम दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ विकास ाील एवं रुढ़िवादी समाजों के आँकड़े द्वितीय दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। यह सच है कि लिंग असमानता के कारण अर्थव्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर श्रम की कार्यक्षमता में गिरावट दर्ज की गयी है, जिसके कारण संसाधनों के असमान वितरण में भी गहनता बढ़ गयी है, फिर भी भारत में विकास के परिणामस्वरुप महिलाओं की प्रस्थिति में नि ि चत रुप से सुधार हुआ है, परन्तु इसकी गति विकसित दे ाों की तुलना में काफी कम है। चूँकि भारतीय समाज मुख्य रुप से पुरुष प्रधान मानसिकता वाला समाज है, इस नाते महिलाओं के आगे बढ़ने के अवसरों में अनेक प्रकार की बाँधाओं का सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ी बाधा पुरुषों की मानसिकता है, जो महिलाओं को अपने से ऊपर या आगे देखना पसन्द नहीं करते हैं। परिणामस्वरुप आज भी महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौक्षणिक दृष्टि से पुरुषों से पिछड़ी हुई हैं। आज भी भारत में महिलाएँ दोहरी भूमिका की ि ाकार हैं। महिलावादियों ने लिंग आधारित श्रम विभाजन को महिलाओं की अधीनता का कारण एवं परिणाम माना है।

वि लेषण से स्पष्ट होता है कि भारत में महिलाओं की प्रस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन बड़ी ही तीव्रता से हो रहा है तथा कुछ नकारात्मक परिवर्तन भी साथ–साथ देखने को मिल रहे हैं।[13] स्वतन्त्रता के प चात् सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक परिवर्तनों ने नारी को ि ाक्षा, नियोजन एवं राजनीतिक सहभागिता आदि क्षेत्रों में पुरुषों के समान अवसर विकसित किये हैं। महिलाओं के भाोषण एवं समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में उनके अपने संगठनों का विकास हुआहै। अनुसंधान, राष्ट्रीय नीति एवं कार्यक्रमों में महिलाओं को महत्ता मिली है। सन् 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के प चात् नारी केन्द्रित समस्याओं एवं उनके निराकरण की दि ाा में पहल बढ़ा है। नारी कल्याण से लेकर नारी के विकास

विगत दो द ाकों में नारी प्रस्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। इन सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद भी भारतीय नारी आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर आश्रित बनी हुई है। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक दृष्टि से भी उसकी प्रस्थिति पुरुषों के समान नहीं है। गृह कार्य में संलग्न नारी एवं आर्थिक उपार्जन करने वाली नारी की प्रस्थिति में परिवर्तन परिलक्षित होता है। पुरुष द्वारा नारी अधिकारों के हनन की प्रक्रिया ने भी नारी के उत्थान में बाधा उत्पन्न किया है। अतः नारी उत्थान की जटिल समस्या केवल सामाजिक जागरण, ि ाक्षा, स्वयंसेवी संगठनों के कार्यों को प्रोत्साहन, आर्थिक स्वावलम्बन आदि समन्वित कार्यक्रमों के आधार पर नारी उत्थान के भावी स्वरुप को अधिक उज्ज्वल बनाया जा सकता है। इसी के साथ ही महिलाओं के प्रति रुढ़िवादी एवं अवैज्ञानिक पुरुष मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन की आव यकता है और नारी द्वारा नारी का विरोध भी बन्द किया जाना आव यक है।

''यह सर्वसम्मत तथ्य है कि जबमहिलाएँ विकास की मुख्य धारा से जुडेंगी, तभी हमारा सामाजिक–अर्थिक विकास सार्थक और पूर्ण होगा।''

पं0 जवाहरलाल नेहरु''विकास का अन्तिम लक्ष्य सभी को अच्छे जीवन हेतु अधिक अवसर प्रदान करना है।''

'' संयुक्त राष्ट्र संघ ''

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. नाटाणी, प्रका ानारायण : लिंग एवं समाज, जयपुर 2005।
2. सेन, अमर्त्य : जेण्डर : सेवन टाइप्स इन–इक्वैलिटी, 2001।
3. भार्मा, अमित कुमार : भारतीय समाज की संरचना, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0।
4. भार्मा, के0 एल0 भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन, जयपुर, 2006।
5. कुरील, भारती एवं सिंह : प्रकाि ात लेख, दि सोसाइटी रिसर्च जनरल, वैल्यूम–14, 2012।
6. बॉटोमोर, टी0 बी0 : सोि ायोलॉजी : ए गाइड टू प्राबलम्स एण्ड लिटरेचर, लन्दन, 1962।
7. हॉबहाउस, एल0 टी0 : सो ाल डेवलपमेण्ट, न्यूयार्क, 1924।
8. सिंह, ि ावबहाल : विकास का समाज ाास्त्र, जयपुर, 2010।
9. योजना पत्रिका, जुलाई 2011।
10. पाण्डेय, रवि प्रका ा : दि सोसाइटी रिसर्च जनरल, वैल्यूम–4, 2006।
11. कबीर, एन0 : रिवर्सड रियलटीज : जेण्डर हाइरारकी इन डेवलपमेण्ट थॉट, दिल्ली, 1995।
12. धर्मवीर : परिवर्तन एवं विकास का समाज ाास्त्र, जयपुर, 2007।
13. तिवारी, जयकान्त : भारत का समाज ाास्त्र, लखनऊ, 2003।

*****